



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला-जबलपुर

R 2636 I 1

1- रामसहय

2- शीरबल

पुत्रगण स्व. भदोली

निवासी चाका तहसील कटनी

जिला कटनी (म.ग्र.)

-- आवेदक

विलङ्घ

म.ग्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला कटनी

(म.ग्र.)

-- अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 21.06.2016 के विलङ्घ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नानुकूल निवेदन है कि :-

- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदकगण द्वारा याम चाका प.ह.नं. 23 ए. नि.म. मुडवारा-2 स्थित भूमि खसरा नं. 50/1, 51/1, 53/1क कुल एकड़ा 0.607 हैक्टर को विक्रय किए जाने की अनुमति तथा अभिलेख में दर्ज अहसानतरणीय प्रविष्टि को सूक्षक किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसे जिलाध्यक्ष द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया है कि उक्त भूमि के विक्रय के पश्चात आवेदक के पास भूमि शोष नहीं बचती है अर्थात् आवेदक भूमिहीन हो जायेगा। कलेक्टर का उक्त आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत न होने से निरस्ती योग्य है।
- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व इस तथ्य को अनदेखा किया गया है कि आवेदक उक्त भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर 8-10 एकड़ भूमि क्य करना चाहता है जो विक्रय की जा रही भूमि से काफी अधिक है। इससे आवेदक के पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं आयेगी और कहीं अधिक भूमि हो जायेगी और आवेदक भूमिहीन नहीं होगा। इस संबंध में आवेदक जिस व्यक्ति से भूमि क्य करना चाहता है उसके साथ हुए अनुबंध की प्रति भी पेश की थी।

(2)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 2636-एक/16

जिला - कटनी

स्थान तथा दिनांक	वार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१०.२.१७	<p>यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी के प्रकरण क्रमांक 21/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 21.06.2016 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदकों द्वारा ग्राम चाका प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. मुडवारा-2 स्थित भूमि खसरा नं. 50/1, 51/1, 53/1क कुल रकबा 0.607 हैक्टर को विक्रय किए जाने की अनुमति तथा अभिलेख में दर्ज अहस्तांतरणीय प्रविष्टि को पृथक किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसे जिलाध्यक्ष द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया है कि उक्त भूमि के विक्रय के पश्चात आवेदकों के पास भूमि शेष नहीं बचती है अर्थात आवेदक भूमिहीन हो जायेगा। जिलाध्यक्ष के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व इस तथ्य को अनदेखा किया गया है कि आवेदक उक्त भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर लगभग 8-10 एकड़ भूमि क्रय करना चाहता है जो विक्रय की जा रही भूमि से काफी अधिक है। इससे आवेदकों के पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं आयेगी और कहीं अधिक भूमि हो जायेगी और आवेदकगण भूमिहीन नहीं होंगे। इस संबंध में आवेदकगण जिस व्यक्ति से भूमि</p>	

*(M)**K*

(3)

रामसहाय आदि विरुद्ध मण्ड्रो शासन

निः ० ५६ छ० २६३६-८८) १६

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रकार से उल्लेख अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	करना चाहते हैं उसके साथ हुए अनुबंध की प्रति भी पेश की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया है कि आवेदित भूमि असिंचित है तथा रोड बन जाने से भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो पा रहा है तथा आवेदक पर कोई दबाव नहीं है।	
	यह भी तर्क दिया गया है कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी ने जो प्रतिवेदन जिलाध्यक्ष को प्रेषित किये हैं उनमें स्पष्ट किया गया है कि आवेदक को उचित प्रतिफल मिल रहा है, आवेदक पर कोई दबाव नहीं है तथा आवेदक अन्य स्थान पर भूमि कर्य करेगा, ऐसी स्थिति में विकर्य किया जाना उचित होगा, किंतु जिलाध्यक्ष ने उक्त प्रतिवेदनों पर भी बिना विचार किये आवेदन निरस्त किया गया हो न्यायोचित नहीं है।	
3/	अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को आवेदक के हित में बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।	
4/	आवेदकगण एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा आवेदकगण के पिता स्व. भद्रोली को 1976-77 में दिया गया था, जिस पर उसे भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। संहिता की धारा 158 (3) के प्रावधानों के अनुसार पट्टे या आवंटन की तारीख से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर अंतरित न किए जाने का प्रावधान है, जबकि आवेदक द्वारा 35 वर्ष से अधिक समय उपरांत आवेदन प्रस्तुत कर खसरों में दर्ज अहस्तांतरणीय प्रविस्ति को पृथक कर प्रश्नाधीन भूमि के	

(M)B
१०

(५)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगो 2636-एफ/16

जिला - कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि से हस्ताक्षर
	<p>विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन दिया गया है जिसे कलेक्टर द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया है कि भूमि विक्रय के उपरांत उक्त भूमि के विक्रय के पश्चात आवेदक के पास भूमि शेष नहीं बचती है, अर्थात् आवेदक भूमिहीन हो जायेगा। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए कलेक्टर, कटनी का आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि उन्होंने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि आवेदकों द्वारा अपने आवेदन में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि आवेदकगण उक्त भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर भूमि क्रय करना चाहता है। इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदित भूमि को विक्रय कर लगभग 6-7 एकड़ भूमि क्रय किए जाने की बात कही गई है, जो विक्रय की जा रही भूमि से काफी अधिक है। इस प्रकार आवेदकों के पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं आयेगी और कहीं अधिक भूमि हो जायेगी और आवेदकगण भूमिहीन नहीं होंगे। तहसीलदार द्वारा भी अपने प्रतिवेदन में उक्त तथ्य की पुष्टि की गई है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं। अतः कलेक्टर, कटनी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है एवं आवेदकगण के भूमि-स्वामित्व की ग्राम चाका प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. मुडवारा-2 स्थित भूमि खसरा नं. 50/1, 51/1, 53/1क कुल रकबा 0.607 हेक्टर पर से राजस्व अभिलेखों में आवेदकगण के नाम के</p>	

रशन तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों ने
अभिभाषण आदि के
हस्ताक्षर

सामने अंकित "अहस्तांतरणीय" शब्द की प्रविस्ति विलोपित की जाकर, आवेदकगण को उच्च भूमि को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

- 1- प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।
- 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।
- 3- आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय एवं क्रय की जाने वाली भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन एक ही दिन एक साथ किया जायेगा ।
- 4- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा ।

निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।



(एम०क०० सिंह)

सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर